म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2415/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2024

दिनांक 05/9/24

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,
मंदसौर विश्वविद्यालय
मंदसौर (म.प्र.)

विषय– शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष **2024–25** में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक **24.08.2024** में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 192वीं सभा बैठक दिनांक **05.09.2024** में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:–

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

(राशि रूपये में)

S.No	Faculty/ Name of Institute	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
				Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	Faculty of Business Management	BBA	44000	36550	6450	**43000**
2		MBA	82500	66300	11700	**78000**
3		Ph.D	71500	59500	10500	**70000**
4	Faculty of Arts	BA (Journalism & Mass Communication)	55000	44625	7875	**52500**
5		BA (Fashion Desigen)	66000	53550	9450	**63000**
6		BA (Tourisam and Hospitility)	58300	47600	8400	**56000**
7		MA (JMC)	55000	45900	8100	**54000**
8		Ph.D (Tourisam and Hospitility)	71500	59500	10500	**70000**

कार्यालय : ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, कलियासोत डेम के सामने भोपाल- 462016 (म.प्र.) ई-मेल : Sec.mppurc@gmail.com, वेबसाइट : mpnvva.in, फोन : 0755-2490322

Office : Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kaliyasot Dam, Bhopal-462016 (M.P.) Email : Sec.mppurc@gmail.com, Website : mpnvva.in, Phone : 0755-2490322

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

(राशि रूपये में)

9	**Faculty of Commerce**	B. COM	38500	31875	5625	**37500**
10	**Faculty of Engineering & Technology**	Diploma (ELEC.)	44000	36550	6450	**43000**
11		Diploma (MECH)	44000	36550	6450	**43000**
12		Diploma (CIVIL)	44000	36550	6450	**43000**
13		BE (CSE)	83270	68000	12000	**80000**
14		BE (EEE)	77000	63750	11250	**75000**
15		BE (MECH)	77000	63750	11250	**75000**
16		BE (CIVIL)	77000	63750	11250	**75000**
17		M Tech	88000	72250	12750	**85000**
18		Ph.D	93500	76500	13500	**90000**
19	**Faculty of Education**	B.Ed	49500	40800	7200	**48000**
20		B.P.Ed	49500	40800	7200	**48000**
21		B P ES	42000	34000	6000	**40000**
22		MA Education	38500	32300	5700	**38000**
23		Ph.D	71500	59500	10500	**70000**
24	**Faculty of Pharmacy**	D PHARM	59180	46750	8250	**55000**
25		B PHARM (BRNCOP)	88000	68000	12000	**80000**
26		M.Pharma (Pharmaceutics)	82500	63750	11250	**75000**
27		Ph.D	93500	76500	13500	**90000**
28	**Faculty of Agriculture**	B.Sc Hons. (Agriculture)	66000	53550	9450	**63000**
29		M. Sc (Agriculture & Agronomy)	60500	48875	8625	**57500**
30	**Faculty of Life Science**	B.Sc (Biotech. Hons)	38500	32300	5700	**38000**
31		B.Sc (Microbiol. Hons)	38500	32300	5700	**38000**
32		B.Sc (Forensic Scien)	53000	42500	7500	**50000**
33		M.Sc (Microbio. Hons)	39600	33150	5850	**39000**
34		M.Sc (Biotech. Hons)	39600	33150	5850	**39000**

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

(राशि रूपये में)

34		Ph.D	82500	68000	12000	**80000**
36	**Faculty of Computer Application**	BCA	38500	32300	5700	**38000**
37		BCA (CC/SYSCS)	60500	48875	8625	**57500**
38		MCA	66000	53550	9450	**63000**
39		Ph.D	82500	68000	12000	**80000**
40	**Faculty of Library Science**	B. Lib. Sc	27500	23375	4125	**27500**
41		M. Lib. Sc.	27500	23375	4125	**27500**
42		Ph.D	71500	59500	10500	**70000**
43	**Faculty of Ayurveda**	BAMS	310000	229500	40500	**270000**
44		Ph.D	93500	76500	13500	**90000**

1. उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकेक्षित वित्तीय आकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।
2. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्को का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास मे ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
4. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकडों एवं अंकेक्षित वित्तीय वास्तविक आंकडों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा ।
5. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।

शैक्षणिक सत्र 2024–25 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नही होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नही है।
7. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
8. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2024–25 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

(सुनील खरे)
प्रबंधक
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक 2416/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2024

भोपाल, दिनांक 05/9/24

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

प्रबंधक
म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल